

85

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्मल स्थित चन्दौसी।

आदेश सं 14 / 2024 दिनांकित 28.03.2024

आदेश

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से विचार विमर्श के उपरान्त वादकारियों के हित को दृष्टिगत रखते हुये कार्य वितरण की निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है—

1— थाना बनियाठेर से संबंधित सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों से संबंधित बेल एवं रिमाण्ड, आरोपपत्र दायरा, कमिटल आदि एवं धारा 156 (3) सीआरपीसी के प्रार्थनापत्रों की सुनवाई एवं दायरा, जो अभी तक न्यायालय सिविल जज(सी0डिओ) / ए०सी०जे०एम०, सम्मल स्थित चन्दौसी को प्राप्त था, का क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्मल स्थित चन्दौसी को प्राप्त होगा।

2— थाना हजरतनगर गढ़ी से संबंधित सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों से संबंधित बेल एवं रिमाण्ड, आरोपपत्र दायरा, कमिटल आदि एवं धारा 156(3) सीआरपीसी के प्रार्थनापत्रों की सुनवाई एवं दायरा, जो अभी तक न्यायालय सिविल जज(सी0डिओ) / ए०सी०जे०एम०, सम्मल स्थित चन्दौसी को प्राप्त था, का क्षेत्राधिकार न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चन्दौसी, सम्मल स्थित चन्दौसी को प्राप्त होगा।

3— थाना बहजोई से संबंधित परिवाद का दायरा एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार, जो अभी तक न्यायालय सिविल जज(सी0डिओ) / ए०सी०जे०एम०, सम्मल स्थित चन्दौसी को प्राप्त था, का क्षेत्राधिकार न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चन्दौसी, सम्मल स्थित चन्दौसी को प्राप्त होगा।

4— थाना रजपुरा से संबंधित माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों से संबंधित बेल एवं रिमाण्ड, आरोपपत्र दायरा, कमिटल आदि एवं धारा 156(3) सीआरपीसी के प्रार्थनापत्रों की सुनवाई एवं दायरा का क्षेत्राधिकार, जो अभी तक न्यायालय सिविल जज(सी0डिओ) / ए०सी०जे०एम०, सम्मल स्थित चन्दौसी को प्राप्त था, का क्षेत्राधिकार न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चन्दौसी, सम्मल स्थित चन्दौसी को प्राप्त होगा।

उपरोक्त वर्णित व्यवस्था में यदि किसी बिशेष अधिनियम के संबंध में विनिर्दिष्ट रूप से कोई आदेश पारित न हो, तो ऐसे मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्मल स्थित चन्दौसी को होगा।

इस आदेश का प्रभाव माननीय उच्च न्यायालय या किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी बिशेष मामले की सुनवाई के संबंध में पारित आदेश पर लागू नहीं होगा।

यह आदेश माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन के पश्चात् ही लागू होगा।

*Archang
28/03/24*
(अर्चना सिंह—प्रथम),

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सम्मल स्थान चन्दौसी।

3/24
Act Judge
Sambhal at
Chandauli

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित—

1— माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय सम्मल स्थित चन्दौसी।

2— पुलिस अधीक्षक, सम्मल।

3— सिविल जज(सी0डिओ) / ए०सी०जे०एम०, सम्मल स्थित चन्दौसी।

*Copy Recd
29/03/24*